कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः 562 राँची, दिनांक : 29/5/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/JH/Trans/32955/2018/368 दिनांक 29.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि 400KV D/C पतरातु–लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल **163.5868 हे0** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छा की गई है।

भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 2108 दिनांक 28.12.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1817 दिनांक 19.12.2022 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया। अनुपालन प्रतिवेदन की जांच में कुल प्रस्तावित वनभूमि के KML Area एवं लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत CA हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का KML Area में भिन्नता पाई गयी। इसके निराकरण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023 द्वारा निदेशित किया गया।

तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 723 दिनांक 04.05.2023, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 493 दिनांक 09.05.2023 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 289 दिनांक 13.05.2023 **सभी पत्रों की (छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत् हैः–

क्र0	पृच्छाऐ	निराकरण
1	In above subject it is to apprise your goods self that the initial examination of the FC Proposal **no.FP/.mtrRANS/32955/2018** at IRO level revealed that numerous incorrect entries in the online application forms has been done. Even the area calculated from the upload **kml file** is only 4 ha whereas the proposal is for diversion of 163.5868 ha forest area. Similar discrepancies are present in various other parts of the online application too including proposed CA area. It is therefore requested that user agency may kindly be asked to reexamine the application meticulously and correct them	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित की जाने वाली वनभूमि एवं CA Area का संशोधित KML File PARIVESH Portal पर अपलोड कर दिया गया है।

	before forwarding. Concerned Forest Offices also may be requested to analyze the application adequately before accepting & further forwarding. Accordingly, the proposal is hereby being returned along with the request made above.	

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर/बोकारो द्वारा समर्पित की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **163.5868** हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक & HoFF का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

29.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29.5.23

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक–   मेदिनीनगर, दिनांकः–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

विषयः– मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 **KV/DC** पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 169.0098 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल–7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल–57.3603 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

कमरुद्दीन मियाँ

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची, का पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023 एवं आपका ज्ञापांक 120 दिनांक 20.01.2023 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 956 दिनांक 03.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023 द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण करते हुए KML File online portal पर upload की दी गयी है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनु0:यथोक्त।

1560
24/5/2023

23/05

विश्वासभाजन,

ह0 / –
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक–289 दिनांक– 13/5/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 24 दिनांक 24.01.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ समर्पित।

13.5.23

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

8/5/23   8-5-23

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक–'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो–827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 400 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन पी0टी0पी0एस0 से लातेहार तक रामगढ़ वन प्रमण्डल कुल 7.9685 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 739 दिनांक 19.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) से सूचित किया है कि विषयगत वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के क्रम में प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्देश के आलोक में पृच्छित दो बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0सं0	पृच्छा	अनुपालन
	2	3
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 163.5868 हे0 वनभूमि के विरूद्ध 164.366 हे0 Forest Area का KML अपलोड किया गया है, जिसे सुधार करने की आवश्यकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 163.5868 हे0 वनभूमि के विरूद्ध 163.5868 हे0 Forest Area का KML पार्ट–I में अपलोड कर दिया गया है। जिसमें रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 7.9685 हे0 वनभूमि सन्निहित है।
2.	पार्ट–II के कंडिका 13(i) में लातेहार वन प्रमण्डल अपलोड की गई CA का KML Area में भिन्नता पायी गई है।	रामगढ़ वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

कैमुद्दीन मियाँ

1447
2/5/2023

ज्ञापांक 493, दिनांक 09.05.2023

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

9.5.23

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 739 दिनांकः– 19/04/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 का 400 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांशमिशन लाईन पी0टी0पी0एस0 से लातेहार तक रामगढ़ वन प्रमंडल कुल 7.9685 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–24 दिनांक 04.01.2023

2. महाप्रबंधक, जे0सी0पी0, रांची पत्रांक–4121 दिनांक 17.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र (1) द्वारा विषयगत परियोजना अन्तर्गत की गई पृच्छाओ का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

क्र0 सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 163.5868 हे0 वनभूमि के विरूद्ध 164.366 हे0 Forest area का KML अपलोड किया गया, जिसे सुधार करने की आवश्यकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 163.5868 हे0 वनभूमि के विरूद्ध 163.5868 हे0 Forest area का KML पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है। जिसमें रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 7.9685 हे0 वन भूमि सन्निहित है।
2	पार्ट–II के कंडिका 13(i) में लातेहार वन प्रमंडल अपलोड की गयी CA का KML area में भिन्नता पायी गयी है।	इस प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

आपका विश्वासी,

Nitish 19/4/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

19/4/23

D:\Mukesh Mishra\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Misc. Letter- From 2021.Docx

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002
e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907

पत्रांक 723 दिनांक 04/05/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1391
21/5/2023

विषयः– **मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल 51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

कैमुद्दीन मियाँ

प्रसंग :– **भवदीय कार्यालय का पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल 51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची के पत्रांक FP/JH/Trans/32955/2018/368 दिनांक 29.06.2022 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन की मॉग की गई है, जिसके आलोक में पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया था जिसमें कमियां/त्रुटियां पाई गई थी जिसका पुनः निराकरण करते हुए प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रॉची के पत्रांक 753 दिनांक 02.05.2023 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा समर्पित पत्र की छायाप्रति एवं अनुलग्नक तथा सी0डी0 की 05(पॉच) प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

Anup

कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉची–834002
ई–मेल:– cf-ranchi@gov.in फोन0:–(0651)–2481814 मो0:–8987790111

पत्रांक:– 753 दिनांक:– 02/05/23

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय:– 400 के0भी0 पतरातू से लातेहार पारेषण लाईन निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 24 दिनांक 04.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने अपने कार्यालय पत्रांक 1613 दिनांक 29.04.2023 द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि के रकबा के KML फाईल ऑनलाईन करते हुए पार्ट–I में संशोधित कर सी0डी0 की छः(6) प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है, जिसे अग्रेतर कार्यार्थ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही हैं।

का0 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची
सं0 1243
दि0 02-5-23

अनु0:– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।

URGENT

D:\SR\FC_Act\FCA_patratu_latehar_tl.doc

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांकः– 1613 दिनांकः– 29-04-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषयः– 400 के0वी0 पतरातू से लातेहार पारेषण लाइन निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–24 दिनांक–04.01.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में दिये गये निदेशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण ने अपयोजित होने वाले वन भूमि के रकबा को KML फाईल online पार्ट–I में संशोधित कर दिया गया है। (पत्रांक–4122 दिनांक–20.04.2023) छायाप्रति संलग्न।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– (1) CD 7 प्रति में।

कार्यालय वन संरक्षक
क्रमांक 901
दिनांक 2/5/23
प्रादेशिक अंचल राँची

आपका विश्वासी

29/04/2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ सं.: पू.क्षे.-1/राँची/जे.सी.पी./ 4122

दिनांक: 20.04.2023

सेवा में,
श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
रांची वन प्रमंडल, जिला – रांची, झारखण्ड।

विषय :- 400 के.वी. पतरातू से लातेहार पारेषण लाइन निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1) भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक- FP/JH/TRANS/32955/2018/368, दिनांक 29.06.2022

2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह –कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड,रांची का ज्ञापांक- 24 दिनांक 04.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में सूचित करना है कि वन भूमि क्षेत्रफल सम्बन्धी त्रुटियों का पुनर्निरीक्षण कर सभी त्रुटियों को दूर करते हुए KML फाइल ऑनलाइन उपलोड कर दिया गया है तथा आपके अग्रतर कारवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रस्ताव को स्टेज -1 के स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा अग्रसारित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पत्रांक 2214
दिनांक 20.04.2023
राँची वन प्रमण्डल राँची

भवदीय,
20.4.23
(एस. के. शशि)
मुख्य प्रबन्धक
जे.सी.पी, रांची।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013
: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक 2108 दिनांक 28/12/22

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 400 के0भी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन पी0टी0पी0एस0 से लातेहार तक 171.411 हे0 अन्तर्गत रामगढ़ वन प्रमण्डल में अधिसूचित वनभूमि 5.27 हे0 एवं जंगल झाड़ी दर्ज भूमि 2.03 हे0 कुल 7.30 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 610 दिनांक 07.07.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 943 दिनांक 21.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा विषयगत वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के क्रम मे प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निदेश के आलोक में पृच्छा का अनुपालन करते हुए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल का KML File तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित की जाने वाली वनभूमि का KML File PARIVESH Portal पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/12

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

28/12

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002
e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907

पत्रांक 1817 दिनांक 19/12/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल 51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय कार्यालय का पत्रांक 610 दिनांक 07.07.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के0भी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 163.5868 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल 51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले वनभूमि के रकबा का KML फाईल आनलाईन पार्ट–I एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि का Sutability Report तथा Revised Estimate तथा पार्ट–II की प्रति वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रॉची के पत्रांक 1513 दिनांक 22.11.2022 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा समर्पित पत्र की छायाप्रति एवं अनुलग्नक तथा सी0डी0 की 05(पॉच) प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

3445
20/12/2022

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

Anup